न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–139 / 2025

जी.सी.एम.एस नं.–2025 / 256

रामदितासिंह पुत्र भजनाराम उर्फ भजनसिंह निवासी चक 1 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———वादी

बनाम्

1. गुरदेवसिंह पुत्र भजनाराम उर्फ भजनसिंह निवासी चक 1 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. गुरदितासिंह पुत्र भजनाराम उर्फ भजनसिंह निवासी सादूलषहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————**प्रतिवादीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री राकेश कुमार गोदारा एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 की ओर से
3. श्री रामेश्वर डाल एडवोकेट प्रतिवादी सं.–2 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः–20/5/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 4 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–2 पत्थर नं.–254 / 377 का किला नं.–13 / 1 का 0.101 हैक्टर, 14 ता 18 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 19 / 1 का 0.152 हैक्टर कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जो वादी की माता बचन कौर पत्नी भजनाराम के नाम दर्ज हैं, के सम्बंध में वादी एवं प्रतिवादी सं.–1 व 2 को विरास्तन अधिकार के तहत बहिस्सा बराबर अधिकारों की घोषणा की [illegible] को 1 / 6 हिस्सा का कृषक घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप [illegible] एवं प्रतिवादी सं.–1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन [illegible] के आदेश प्रतिवादी सं.–4 को प्रदान किए जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से श्री राकेश कुमार गोदारा एडवोकेट उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रतिवादी संख्या 2 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी.** पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि वाके चक 4 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ का पं. नं. –254/377 मुरब्बा नम्बर 2 के किला नं.–13/1 का 0.101 हैक्टर, 14 ता 18 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 19/1 का 0.152 हैक्टर, कुल 1.518 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि बचन कौर पत्नी भजनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। परन्तु बचन कौर प्रार्थी/वादी रामदिता सिंह व प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 2 गुरदिता सिंह की माता न होकर प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 1 गुरदेव सिंह की माता थी तथा प्रार्थी/वादी व प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 2 की माता का नाम जेलो था तथा जेलो के देहान्त के बाद प्रार्थी/वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 के पिता भजनाराम ने बचन कौर के साथ शादी कर ली थी तथा उक्त भूमि बचन कौर की स्वअर्जित सम्पत्ति है। बचन कौर के प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के एक अन्य भाई ने जन्म लिया जो कि विकलांग था तथा अविवाहित फौत हो गया था तथा वर्तमान में बचन कौर के प्रतिवादी संख्या 1 ही एकमात्र वारिस है तथा बचन कौर के निर्वसीयती देहान्त होने के कारण उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सख्या 1 ही विरास्तन प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी सख्या 1 के एकमात्र बचन कौर का वारीस होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत 7 एस जे एम के प्रशासक द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र हैं इस प्रकार बचन कौर के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं तथा वे बचन कौर के नाम की कृषि भूमि को विरास्तन प्राप्त करने के कानूनन हकदार एवं दावेदार नही है। वादी के किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 गुरदिता सिंह ने मिलकर दुर्भिसंधि के तहत वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रतिवादी सख्या 1 को उसकी माता बचन कौर के नाम से दर्ज कृषि भूमि को विरास्तन प्राप्त करने से रोकने हेतु बेईमानी पूर्वक व लालचवश पेश किया है। वादी को वाद प्रस्तुत करने की कानूनी अधिकाररिता (Locus Standi) नहीं है। वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नही है। वादी का वाद FRIVOLOUS AND VEXATIOUS है इसलिए मौजुदा स्टेज पर खारिज होने योग्य हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र हाजा में अंकित किऐ गऐ तथ्य साक्ष्य के मोहताज है जो कि दोनो पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध होने के बाद ही विनिश्चय किऐ जा सके है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ पिता भजनाराम का परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत किया हैं जिसमे पिता भजनाराम, माता बचनकौर पुत्र प्रतिवादी सं.–2 गुरदित्ता सिंह, उसकी पत्नी बलवीरकौर, गुरदित्तासिंह के पुत्र संतराम व उसकी [illegible]तकौर का नाम अंकित है। उक्त परिवार राशन कार्ड सरपंच, सचिव [illegible] से जारी है। उस वक्त प्रतिवादी सं.–2 अपने माता पिता के साथ निवास [illegible] वादी तथा प्रतिवादी सं.–1 अलग–2 निवास करते थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादी/प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि खातेदारी कृषि भूमि बचन कौर पत्नी भजनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। परन्तु बचन कौर प्रार्थी/वादी रामदितासिंह व प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 2 गुरदितासिंह की माता न होकर प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 1 गुरदेव सिंह की माता थी तथा प्रार्थी/वादी व प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 2 की माता का नाम जेलो था तथा जेलो के देहान्त के बाद प्रार्थी/वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 के पिता भजनाराम ने बचनकौर के साथ शादी कर ली थी तथा उक्त भूमि बचनकौर की स्वअर्जित सम्पत्ति है। बचन कौर के प्रतिवादी सख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 1 के एक अन्य भाई ने जन्म लिया जो कि विकलांग था तथा अविवाहित फौत हो गया था तथा वर्तमान में बचनकौर के प्रतिवादी सख्या 1 ही एकमात्र वारिस है। वादी को वाद प्रस्तुत करने की कानूनी अधिकाररिता (Locus Standi) नहीं है। वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नही है। वादी का वाद FRIVOLOUS AND VEXATIOUS है।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में वादी द्वारा कृषि भूमि बचन कौर पत्नी भजनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। परन्तु बचन कौर प्रार्थी/वादी रामदिता सिंह व प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 2 गुरदिता सिंह की माता न होकर प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 1 गुरदेव सिंह की माता थी तथा प्रार्थी/वादी व प्रतिवादी/प्रतिवादी सख्या 2 की माता का नाम जेलो था तथा जेलो के देहान्त के बाद प्रार्थी/वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 के पिता भजनाराम ने बचन कौर के साथ शादी कर ली थी तथा उक्त भूमि बचन कौर की स्वअर्जित सम्पत्ति है। बचन कौर के प्रतिवादी सख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 1 के एक अन्य भाई ने जन्म लिया जो कि विकलांग था तथा अविवाहित फौत हो गया था तथा वर्तमान में बचन कौर के प्रतिवादी सख्या 1 ही एकमात्र वारिस है। वादी को वाद प्रस्तुत करने व उसे सुने जाने का कोई कानूनी अधिकार (Locus Standi) नहीं है तथा वादी का वाद FRIVOLOUS AND VEXATIOUS है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण सं.–2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर